मामलों का विवरण

भारत संघ बनाम.

उजैर इमरान और ओआरएस।

(सिविल अपील संख्या 2023 की 6668-6669) 11 अक्टूबर, 2023

[बेला एम**.** त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लौटाई गई समवर्ती याचिका कि तीसरे प्रतिवादी को नियुक्ति से इनकार करना अनुचित था, न्यायसंगत है।

सेवा कानून**-**नियुक्ति**/**चयन**-**डाक सहायक का पद**-**तीसरा प्रतिवादी जिसे पद के लिए अयोग्य माना जाता है**,** हालांकि उसे योग्यता सूची में रखा जाता है**,** प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है**,** लेकिन बाद में शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र के आधार पर बाहर रखा जाता है**,** जिसके तहत उसने व्यावसायिक धारा से **10 + 2** की शिक्षा पूरी की**-**न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय लिया**-**सच्चाईः

आयोजित किया गयाःतीसरे प्रत्यर्थी को प्रमाण पत्र के आधार पर सीमा पर अयोग्य नहीं माना गया था, लेकिन वह चयन प्रक्रिया से गुजरा, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, और बाद में प्रमाण पत्र के अर्थ पर बाहर कर दिया गया-निरंकुश विवेकाधिकार, गैर-जिम्मेदाराना दृष्टिकोण और राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन अनुच्छेद 14 के विपरीत हैं, और विशेष रूप से जब दो विचार संभवतः शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र को देखते हुए सामने आ सकते हैं, दोनों विचार पूरी तरह से स्वीकृति के योग्य नहीं हैं, तो प्रशासनिक प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग की जाती है कि अपीलकर्ता-विभाग को कारण देना चाहिए था-अपीलकर्ता के लिए तीसरे प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को पूरी तरह से अस्वीकार करना अत्यधिक अनुचित था।

सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश के लिए-अपीलार्थी का दो दशक से अधिक समय तक पद पर बने रहने के लिए जिम्मेदार होना मामले को रिमांड के लायक नहीं है-इसे ध्यान में रखते हुए, तीसरे प्रतिवादी को नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी करना, शुरू में डाक सहायक के पद पर परिवीक्षा पर, और यदि कोई पद खाली नहीं है, तो एक अतिरिक्त पद बनाया जाएगा।[पैरा 16,17,20,21]

सेवा कानून**-**नियुक्ति**-**पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता की समानता**-**न्यायालय द्वारा निर्धारणः

आयोजित किया गयाःयह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह दो अर्हता प्रमाणों की समानता निर्धारित करे और/या किसी विशेष प्रमाण पत्र की जांच करे और उसके आधार पर यह अभिनिर्धारित करे कि उसका धारक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और इस प्रकार, नियुक्ति के लिए योग्य है-यह पूरी तरह से नियोक्ता का विशेषाधिकार है कि वह यह तय करे कि क्या चयन प्रक्रिया में भाग लेने का इरादा रखने वाला कोई भी उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सांविधिक रूप से निर्धारित नियमों के संदर्भ में पात्र है और यह भी कि क्या उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए-जब एक उत्कृष्ट गुणवत्ता का साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो एक पक्ष के पक्ष में संतुलन झुकाता है, तो अदालत ऐसे साक्ष्य की स्वीकृति के आधार पर किसी भी तरह से निर्णय ले सकती है।[पैरा 14]

भारत का संविधान**-**अनुच्छेद **16-**उम्मीदवार द्वारा सार्वजनिक रोजगार का दावा करने का अधिकारः

आयोजित किया गयाःउम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है-उम्मीदवार को केवल इसके लिए विचार किए जाने का अधिकार है-एक बार जब किसी उम्मीदवार को सीमा पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और यदि वह अभी भी यह समझते हुए प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है कि उसकी उम्मीदवारी मनमाने ढंग से खारिज कर दी गई है, तो उसे अपना उपाय करना होगा-हालांकि, यदि उम्मीदवारी को सीमा पर अस्वीकार नहीं किया जाता है और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और अंततः उसका नाम योग्यता सूची में शामिल हो जाता है, हालांकि ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति का दावा करने का कोई अनुचित अधिकार नहीं है, उसे निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार दिए जाने का सीमित अधिकार है-उसे योग्यता सूची में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियुक्त होने की उचित उम्मीद है।

1137

न्यायसंगत, और सनकी या मनमौजी नहीं, गैर-हस्तक्षेप की गारंटी-कला।12,14. [पैरा 15]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मलिक मजहर सुल्तान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (2006) 9 एस. सी. सी. 507: [2006] 3 एससीआर 689; आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 3

एससीसी 55:[2018] 1 एस. सी. आर. 695-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील संख्या 6668-6669।

इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में उच्च न्यायालय के 2000 के एस. बी. No.1822 में दिनांकित 04.04.2017 और 2017 के सी. एम. ए. No.105840 में दिनांकित 10.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., गुरमीत सिंह मक्कर, बी. के. सतीजा, अशोक पाणिग्रही, ईशान शर्मा, अनिरुद्ध शर्मा-II, सुश्री बी. एल. एन. शिवानी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

कौशल यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, डॉ. अजय कुमार, अर्जुन रघुवंशी, रितुल टंडन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

दीपांकर दत्ता, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. भारत संघ ("अपीलार्थी", इसके बाद) द्वारा इस अपील में चुनौती 4 अप्रैल, 2017 को इलाहाबाद, लखनऊ पीठ ("उच्च न्यायालय", इसके बाद) में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दी गई है, जिसमें अपीलार्थी की रिट याचिका 1 के साथ-साथ निर्णय को भी खारिज कर दिया गया है।

1 2000 1138 का सं. 1822

और उच्च न्यायालय के 10 दिसंबर, 2021 के आदेश ने अपने समीक्षा आवेदन 2 को खारिज कर दिया।4 अप्रैल, 2017 के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ("न्यायाधिकरण", इसके बाद) द्वारा पारित 6 मई, 1999 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के साथ पठित धारा 19 के तहत एक मूल आवेदन 3 की अनुमति दी गई थी और साथ ही 30 मई, 2000 के बाद के आदेश में एक समीक्षा आवेदन 4 को खारिज कर दिया गया था।

3. शुरुआत में, यह रेखांकित करना प्रासंगिक है कि वर्तमान अपील न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए राहत पर विचार करने के लिए है, जब से उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, अंकुर गुप्ता ("तीसरा प्रतिवादी", इसके बाद), एकमात्र प्रतियोगी पक्ष, क्योंकि अन्य उत्तरदाताओं को अब सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं है, बार से हमें प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार। 4.अभिलेखों से निकाली गई अपील का तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार हैः

ए। भारत के राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर, 1990 को एक अधिसूचना के माध्यम से डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 1990 (इसके बाद "1990 नियम") बनाए।1990 के नियमों की अनुसूची में डाक सहायकों और छँटाई सहायकों के पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता को रेखांकित किया गया है, जो कि "10+2 मानक या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण" के रूप में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विद्यालय शिक्षा बोर्ड/बोर्ड

माध्यमिक शिक्षा "।1990 के नियमों को डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम 1991 ("संशोधन नियम", इसके बाद) द्वारा 31 जनवरी, 1992 की एक अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था।1990 के नियमों की अनुसूची में संशोधन के परिणामस्वरूप, जिन उम्मीदवारों ने "व्यावसायिक धारा" में अपनी मध्यवर्ती शिक्षा प्राप्त की थी, उन्हें डाक सहायक और छंटाई सहायक के पद के लिए विचार से बाहर रखा गया था।

बी। यह भर्ती नियमों की स्थिति होने के कारण, डाकघर, खीरी के अधीक्षक ने 17 अप्रैल, 1995 को एक पत्र के माध्यम से

2 2017 का सी. एम. आवेदन No.105840 3 1996 का मूल आवेदन No.384 4 1999 का समीक्षा आवेदन संख्या 7 भारत संघ बनाम उजैर इमरान और ओ. आर. एस.

1139

[दीपांकर दत्ता, जे।]

जिला रोजगार कार्यालय, लखीमपुर खीरी से वर्ष 1995 के लिए लखीमपुर खीरी डाक प्रभाग में 10 (दस) डाक सहायकों की भर्ती के उद्देश्य से योग्य उम्मीदवारों की सूची मांगी गई।अनुरोध के अनुसार, उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, इलाहाबाद या समकक्ष से इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था।इस तरह की मांग के अलावा, 12 जून, 1995 के एक विज्ञापन के माध्यम से भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

ग. अन्य उम्मीदवारों के साथ सभी उत्तरदाताओं ने लिखित, टाइपिंग, योग्यता और कंप्यूटर परीक्षण दिए और साक्षात्कार में भाग लिया जो चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आयोजित किए गए थे।भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 22 नवंबर, 1995 को एक अधिसूचना के माध्यम से एक योग्यता सूची जारी की गई थी।उत्तरदाताओं के नाम योग्यता सूची में काफी ऊंचे पाए गए, जिसके बाद उन सभी को 15 मार्च, 1996 से शुरू होने वाले 15 दिनों के पूर्व-प्रवेश प्रशिक्षण के लिए खीरी डाक कार्यालय से जोड़ा गया।उसी के बाद एक दीर्घकालिक प्रशिक्षण दिया जाना था।हालांकि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल ने 22 मार्च, 1996 को विभिन्न पोस्टमास्टर जनरल को एक पत्र भेजा।सीधी भर्ती के लिए व्यावसायिक धारा से इंटरमीडिएट की शैक्षणिक योग्यता को मान्यता देने के संबंध में 31 जनवरी, 1991 और 5 जनवरी, 19965 (एस. आई. सी.) के पत्रों का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा

जारी प्रमाण पत्रों को तब तक भर्ती किया जाना चाहिए जब तक कि "इन्हें व्यावसायिक धारा या व्यावसायिक धारा के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता है।"इसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को रोक दिया गया, जिन्हें दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था।इससे तत्काल मुकदमा शुरू हो गया।

घ. 22 मार्च, 1996 के उपरोक्त पत्र से असंतुष्ट होकर, प्रत्यर्थियों ने इसकी वैधता को चुनौती देते हुए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।चूंकि वे पहले ही निर्धारित परीक्षाओं को पास करने में सफल हो चुके थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके नाम योग्यता सूची में दर्ज किए गए थे, इसलिए यह प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी को उत्तरदाताओं को दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया जाए और इसके परिणामस्वरूप उन्हें लखीमपुर खीरी में डाक सहायक के रूप में नियुक्त किया जाए।न्यायाधिकरण ने 6 मई, 1999 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों के पक्ष में निर्णय लिया। आदेश का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया हैः

“4. […] शैक्षिक योग्यता के कॉलम में यह प्रावधान है कि एक उम्मीदवार जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो।ओ. ए. के 12.6.95 अनुलग्नक ए-1 पर समाचार पत्र में प्रकाशित प्रतिलिपि से पता चलता है कि आवश्यक शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण थी।इस प्रकार न तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लखीमपुर खीरी को भेजे गए पत्र में (अनुलग्नक आर-1) या अखबार में दिए गए विज्ञापन में (ओ. ए. को अनुलग्नक ए-1) उल्लेख किया गया था कि जिन उम्मीदवारों ने 'व्यावसायिक विषय' के साथ इंटरमीडिएट (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे पात्र नहीं होंगे।इसे ध्यान में रखते हुए, सभी 4 आवेदक समाचार पत्र में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते हैं।विज्ञापन और जैसा कि नामों को प्रायोजित करने के लिए रोजगार विनिमय को भेजे गए संचार में उल्लेख किया गया है।

***

6. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदकों को आगे आवश्यक प्रशिक्षण के लिए और उसके पूरा होने पर, और अन्य औपचारिकताओं के लिए, आवेदकों को डाक सहायक के रूप में नियुक्त करने के लिए भेजें। आवेदकों की वरिष्ठता उनकी बाद की नियुक्ति के कारण प्रभावित नहीं होगी और उन्हें उनकी वरिष्ठता मिलेगी जो नियमों में स्वीकार्य हो, जैसे कि उन्हें अपने कनिष्ठों के साथ प्रशिक्षण के लिए भेजा गया हो।”ङ. इससे आहत होकर, अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक समीक्षा आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसने 30 मई, 2000 के आदेश के माध्यम से इसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सी. पी. सी"., इसके बाद) के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1 के तहत समीक्षा के आधार बहुत सीमित हैं, और अपीलार्थी समीक्षा के लिए कोई ठोस आधार उठाने में विफल रहा है।

च. न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्णय और आदेश पर सवाल उठाते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अनुरोध किया कि इसे उसी आधार पर रखा जाए।

छ. उच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल, 2017 के विवादित फैसले के माध्यम से न्यायाधिकरण के आदेशों को यह तर्क देते हुए बरकरार रखा कि 1990 के नियमों में कोई संशोधन लागू नहीं किया गया था और 22 अप्रैल, 1141 का पत्र।

मार्च, 1996 केवल एक कार्यकारी आदेश/स्पष्टीकरण निर्देश था जो 1990 के नियमों में संशोधन नहीं कर सकता था; इसलिए, केवल इस तरह के पत्र के आधार पर तीसरे प्रतिवादी (उसमें शामिल अन्य उत्तरदाताओं के साथ) को नियुक्ति से इनकार करना अनुचित था।न्यायाधिकरण के विवादित निर्णय और आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

ज. रिट याचिका खारिज होने के बाद, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा आवेदन को प्राथमिकता दी।10 दिसंबर, 2021 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आदेश XLVII नियम 1 के साथ पठित सीपीसी की धारा 114 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली अदालत के पास हस्तक्षेप करने की बहुत संकीर्ण और सीमित गुंजाइश है और यह कि समीक्षा के तहत निर्णय और आदेश किसी भी गलती या त्रुटि से पर्याप्त नहीं है जो रिकॉर्ड के हस्तक्षेप की गारंटी देता है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अपर सॉलिसिटर जनरल सुश्री भाटी ने विवादित निर्णयों और आदेशों पर आपत्ति जताते हुए निम्नलिखित तर्क उठाएः

ए। संशोधन नियम पहले से ही उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के अनुलग्नक 7 के रूप में दर्ज थे।चूंकि बहस के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन नियमों पर ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए 4 अप्रैल, 2017 का निर्णय और आदेश रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि से पर्याप्त था, जिसके कारण समीक्षा आवेदन की आवश्यकता थी।इस संदर्भ में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि समीक्षा आवेदन में सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. के ढांचे के भीतर एक पर्याप्त आधार का आग्रह किया गया है, जिस पर दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय विचार करने में विफल रहा।परिस्थितियों में समीक्षा आवेदन को खारिज करना स्पष्ट रूप से गलत था।

बी। चूंकि संशोधन नियम 1995 में वर्तमान चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले लागू हो गए थे, इसलिए यह आवश्यक था कि संशोधित अनुसूची के अनुरूप डाक सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता, अर्थात किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से व्यावसायिक धाराओं को छोड़कर, 10+2 कक्षा या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक योग्यता रखने वाले किसी भी उम्मीदवार का चयन होगा।

संशोधित अनुसूची के साथ असंगत और 1990 के नियमों के उल्लंघन में कोई भी नियुक्ति, जैसा कि संशोधित किया गया है, शुरुआत से ही अमान्य होगी।ग. तीसरा प्रत्यर्थी सीधे भर्ती होने के लिए निर्धारित योग्यता से कम हो गया, जैसा कि संबंधित भर्ती नियमों में निर्दिष्ट किया गया है और इसकी अगली कड़ी के रूप में, उसका चयन गलती से हुआ था जिसे अपीलार्थी को सुधारने का अधिकार था।चूंकि तीसरे प्रतिवादी को किसी कार्यकारी आदेश के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए भर्ती नियमों की सही और उचित व्याख्या के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निर्देश में हस्तक्षेप नहीं करके गंभीर त्रुटि की।

6. उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विराम लगाते हुए, सुश्री भाटी ने अनुरोध किया कि चुनौती के तहत आदेशों को दरकिनार कर दिया जाए और न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

7. श्री यादव, विवादित निर्णयों और आदेशों का समर्थन करते हुए तीसरे प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

क. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लौटाए गए समवर्ती आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 22 मार्च, 1996 का पत्र, जिसके माध्यम से "व्यावसायिक धाराओं को छोड़कर" शब्दों को तीसरे प्रतिवादी को नियुक्ति से वंचित करने का आधार बनाया गया था, एक कार्यकारी आदेश के अलावा और कुछ नहीं है।

बी। संशोधन नियमों के नियम 1 (2) में ही प्रावधान किया गया था कि संशोधन आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद लागू किया जाएगा और आज तक उक्त नियमों के संबंध में कोई राजपत्र प्रकाशन नहीं हुआ है।

ग. अपीलार्थी द्वारा की गई माँग को ध्यान में रखते हुए तीसरे प्रतिवादी का नाम जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था।17 अप्रैल, 1995 के पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि डाक सहायक के लिए शैक्षिक आवश्यकता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मध्यवर्ती शिक्षा होगी।न तो विज्ञापन में और न ही उपरोक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि "व्यावसायिक धाराओं" वाले उम्मीदवारों को बाहर रखा जाएगा।इस प्रकार, तीसरे प्रतिवादी ने आवश्यक मानदंडों को पूरा किया था; 1143

और उसे नियुक्ति से इनकार करना उस तय किए गए कानून के खिलाफ है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान खेल के नियमों को बदला नहीं जा सकता है।

घ. अन्यथा भी, 24 जुलाई, 1991 को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश ("बोर्ड ने कहा", इसके बाद) द्वारा जारी तीसरे प्रतिवादी का प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि वह 'नियमित' स्ट्रीम का छात्र था और इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था कि उसने व्यावसायिक स्ट्रीम में 10+2 स्तर पर शिक्षा प्राप्त की थी।8. यह कहते हुए कि विवादित निर्णय और आदेश कानूनी उल्लंघनों से मुक्त हैं और उसमें दर्ज समवर्ती निर्णयों पर जोर देते हुए, श्री यादव ने प्रस्तुत किया कि अपील किसी भी योग्यता से रहित है और इसके परिणामस्वरूप, पूरी तरह से खारिज करने का वारंट है।

9. हमने पक्षों के वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

10. श्री यादव का यह कहना कि संशोधन नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किए गए थे, बिना किसी तथ्य के है।ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन नियम 15 फरवरी, 1992 को भारत के राजपत्र में विधिवत प्रकाशित किए गए थे, जिसकी एक प्रति सुश्री भाटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसलिए, उनका यह तर्क सही है कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले, 15 फरवरी, 1992 को और उससे संशोधन नियम लागू हो गए थे।

11. यह सच है कि न तो 17 अप्रैल, 1995 के पत्र में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से योग्य उम्मीदवारों के नाम की मांग की गई थी और न ही 12 जून, 1995 के विज्ञापन में योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा व्यावसायिक धारा के माध्यम से आयोजित आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार बाहर रहेंगे।हालांकि, इस पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है।कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में उल्लिखित योग्यताएं वैधानिक रूप से निर्धारित योग्यताओं से भिन्न हैं, तो यह बाद वाला है जो प्रबल होगा।इस संबंध में प्रोफी तालिका का संदर्भ निर्णयों के लिए किया जा सकता है -

मलिक मजहर सुल्तान बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग **5** और आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **6** में यह न्यायालय।

12. यह देखा गया है कि न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के पास तीसरे प्रतिवादी के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र में विज्ञापन देने का अवसर नहीं था और अपीलार्थी द्वारा मामले को ठीक से नहीं संभालने के कारण संशोधन नियमों के किसी भी संदर्भ के बिना मूल आवेदन, रिट याचिका और समीक्षा आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े।हम सुश्री भाटी से सहमत हैं कि कम से कम उच्च न्यायालय, रिट याचिका में संशोधन नियमों के प्रकटीकरण के साथ-साथ समीक्षा आवेदन में आग्रह किए गए आधार को ध्यान में रखते हुए, उस त्रुटि को सुधारने में स्पष्ट रूप से गलत था जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट थी।

13. हालाँकि, हमारी उपरोक्त टिप्पणियाँ अपीलार्थी के कारण को आगे नहीं बढ़ाती हैं क्योंकि उक्त बोर्ड द्वारा उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए तीसरे प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया था।इस तरह के प्रमाण पत्र में उन विषयों की गणना की जाती है जिन्हें उन्होंने अपनी माध्यमिक

शिक्षा के दौरान पढ़ा था।कुल चार विषयों में से दो (हिंदी और अंग्रेजी) व्यावसायिक विषयों के रूप में वर्णित हैं।महत्वपूर्ण रूप से, प्रमाण पत्र जो आंशिक रूप से स्थानीय भाषा में है, उसके आधार पर अंग्रेजी में 'नियमित' टिप्पणी भी है।तीसरे प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रमाण पत्र में 'नियमित' नियमित धारा है न कि व्यावसायिक धारा।14. आम तौर पर, यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह दो अर्हताओं की समानता निर्धारित करे और/या किसी विशेष प्रमाण पत्र की जांच करे और उसके मूल्यांकन के आधार पर कहे कि उसका धारक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और इस प्रकार, नियुक्ति के लिए योग्य है।इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने के बाद या पंजीकृत उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक रोजगार के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित होने के बाद, यह तय करना पूरी तरह से नियोक्ता का विशेषाधिकार है कि क्या चयन प्रक्रिया में भाग लेने का इरादा रखने वाला कोई भी उम्मीदवार नियुक्ति के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र है या नहीं और यह भी कि क्या उसे विचार के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए।यह केवल तभी होता है जब अदालत के समक्ष एक उत्कृष्ट गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, जो बिना किसी अधिक तर्क या गहरे तर्क के होता है।

5 (2006) 9 एससीसी 507 6 (2018) 3 एससीसी 55 1145

जांच, संतुलन को एक पक्ष के पक्ष में झुकाती है कि अदालत ऐसे साक्ष्य की स्वीकृति के आधार पर किसी भी तरह से निर्णय ले सकती है।

15. इस स्थायी कानूनी स्थिति के बावजूद, वह चरण भी महत्वपूर्ण है जब गैर-स्थायी रोजगार के लिए अयोग्यता का उल्लेख किया जाता है।यह वास्तव में निर्विवाद है कि किसी को भी सार्वजनिक रोजगार का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में, एक उम्मीदवार को केवल इसके लिए विचार किए जाने का अधिकार है।एक बार जब किसी उम्मीदवार को सीमा पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और यदि वह अभी भी यह समझते हुए प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है कि उसकी उम्मीदवारी मनमाने ढंग से खारिज कर दी गई है, तो उसे कानून के अनुसार अपना उपाय करना होगा।हालाँकि, यदि उम्मीदवारी को सीमा पर अस्वीकार नहीं किया जाता है और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और अंततः उसका नाम योग्यता सूची में आता है-हालाँकि ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति का दावा करने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है-तो उसे निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार दिए जाने का सीमित अधिकार है।उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक पार की गई प्रक्रिया के चरणों को देखते हुए, हो सकता है कि उसे नियुक्ति का निहित अधिकार न हो, लेकिन योग्यता सूची में उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियुक्त होने की उचित अपेक्षा उत्पन्न हो सकती है।नियोक्ता, यदि वह संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य है, तो उसे मनमाने तरीके से कार्य करने और उम्मीदवार को नियुक्ति की सीमा से बाहर करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जैसा कि विचार के क्षेत्र से अलग है, बिना तुकबंदी या कारण के।नियोक्ता-राज्य संविधान के अनुच्छेद 14 से बाध्य होने

के कारण, कानून ऐसे नियोक्ता पर एक दायित्व, न कि कर्तव्य, रखता है कि वह कारण के रूप में कुछ औचित्य प्रदान करे।यदि प्रशंसनीय औचित्य प्रदान किया जाता है, तो अदालतें औचित्य पर सवाल उठाने के लिए अनिच्छुक होंगी, लेकिन औचित्य ऐसा होना चाहिए कि यह तर्कसंगत और न्यायसंगत हो, न कि सनकी या मनमौजी, गैर-हस्तक्षेप की गारंटी देता हो।

16. वर्तमान मामले के तथ्यों में, अयोग्यता की घोषणा का चरण हमें तीसरे प्रतिवादी के पक्ष में ज्वार को मोड़ता प्रतीत होता है।यदि अपीलार्थी ने तीसरे प्रतिवादी को सीमा पर तीसरे प्रतिवादी की शैक्षिक योग्यता की अपीलार्थी की सराहना के आधार पर अयोग्य घोषित किया होता, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती।हालाँकि, यह सीमा पर नहीं था कि तीसरे प्रतिवादी को अयोग्य माना गया था।जैसा कि तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है, अपीलार्थी ने तीसरे प्रतिवादी को योग्य माना था, उसे विभिन्न परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी थी

चयन प्रक्रिया के संबंध में, उनका साक्षात्कार लिया गया, योग्यता सूची में उनका नाम काफी ऊपर रखा गया, और उसके बाद उन्हें 15 मार्च, 1996 से शुरू होने वाले 15 दिनों के प्री-इंडक्शन प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।एक सप्ताह के बाद 22 मार्च, 1996 का पत्र जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तीसरे प्रतिवादी को नियुक्ति की सीमा से हटा दिया गया।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीसरे प्रतिवादी को अयोग्य मानने का निर्णय प्रमाण पत्र पर आधारित था; हालाँकि, इस बात का कोई खंडन नहीं है कि तीसरे प्रतिवादी द्वारा उनके इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण पत्र कि उन्होंने प्रासंगिक परीक्षा में योग्यता प्राप्त की थी और इस प्रकार, नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के योग्य थे, ने दो विचारों के लिए जगह छोड़ी।यह तय कानून है कि राज्य की कार्रवाई में अनियंत्रित विवेकाधिकार, गैर-जिम्मेदाराना दृष्टिकोण और मनमानेपन अनुच्छेद 14 के विरोधी हैं; और, विशेष रूप से जब तीसरे प्रतिवादी द्वारा रखे गए शैक्षिक योग्यता प्रमाण के प्रमाण पत्र को देखते हुए दो विचार संभवतः सामने आ सकते हैं, दोनों विचार स्वीकृति के लिए पूरी तरह से अयोग्य होने के कारण, प्रशासनिक प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग की जाती है कि अपीलार्थी को कारण देना चाहिए था, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों हो, कि वह तीसरे प्रतिवादी को "व्यावसायिक धारा" के माध्यम से प्रासंगिक परीक्षा में सफल होने के लिए क्यों पसंद करता है, जिससे प्रमाणपत्र पत्र के आधार पर "नियमित" टिप्पणी के प्रभाव पर विचार किए बिना अयोग्यता आकर्षित होती है।22 मार्च, 1996 के पत्र की सामग्री, जो तीसरे उत्तरदाता के लिए मृत्यु की घंटी थी, स्पष्ट रूप से प्राप्तकर्ता पोस्टमास्टर जनरल को दिए गए एक सामान्य निर्देश का संकेत देती है; उन्हें प्रत्येक प्रमाण पत्र की योग्यता के आधार पर जांच करने के लिए नहीं कहा गया था।इस प्रकार, कोई व्यक्तिगत अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि प्रमाण पत्र की सामग्री पर अपने दिमाग को लागू किए बिना एक सामान्य अस्वीकृति थी।इस प्रकार, अपीलार्थी के लिए प्रमाण पत्र के उचित मूल्यांकन के अभाव में तीसरे प्रतिवादी की उम्मीदवारी को पूरी तरह से अस्वीकार करना अत्यधिक अनुचित था।

18. यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि प्रमाण पत्र को विधिवत रूप से देखा गया था, तो भी हम तथ्यों पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं (तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की सामग्री को देखते हुए और मध्यवर्ती स्तर पर तीसरे प्रत्यर्थी को दी गई शिक्षा की प्रकृति के बारे में निर्णायक जानकारी के अभाव में) कि अपीलकर्ता को कम से कम उक्त बोर्ड से स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करना चाहिए कि क्या तीसरे प्रत्यर्थी को 1991 की मध्यवर्ती परीक्षा "व्यावसायिक धारा" या "नियमित" की श्रेणी में उत्तीर्ण माना जा सकता है और इस प्रकार वह 1147 के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य था।

1990 के नियमों के अनुसार नियुक्ति, जैसा कि संशोधित किया गया है।यह अपीलार्थी के प्रांत के भीतर नहीं था कि वह "एक आँख खुली, एक आँख बंद" के दृष्टिकोण के साथ तीसरे प्रत्यर्थी के प्रमाण पत्र की जांच करे और घोषणा करे कि उसकी मध्यवर्ती शिक्षा एक "व्यावसायिक धारा" में थी, इस बात की अनदेखी या अनदेखी करते हुए कि स्वयं-प्रमाणित पत्र में 'नियमित' टिप्पणी थी। वर्तमान मामले में अपीलार्थी का निर्धारण निस्संदेह तीसरे प्रतिवादी की शिक्षा की प्रकृति के बारे में उसके दुर्लभ ज्ञान पर निर्भर करता है, यह दर्शाता है कि उसका बहिष्कार एक वैध और उचित कारण के आधार पर नहीं था और निश्चित रूप से मनमाना था।

19. यह सिद्धांत कि यदि तथ्यों के किसी दिए गए समूह पर दो विचार यथोचित रूप से संभव हैं और न्यायालय हस्तक्षेप से दूर रहेंगे और नियोक्ता द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के लिए अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, तो वर्तमान प्रकृति के मामले में लागू नहीं हो सकता है जहां परस्पर विरोधी विचारों को केवल प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के संदर्भ से हल किया जा सकता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि प्रमाण पत्र का क्या अर्थ है।आखिरकार, एक भावी नियुक्त व्यक्ति के भविष्य में न्याय और अवसर की समानता हासिल करने के प्रारंभिक वादे के अनुरूप एक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, जिसे अपीलार्थी हासिल करने में विफल रहा।

20. हमारे विचार में, तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ भेदभाव किया गया है और मनमाने ढंग से चयन के फल से वंचित किया गया है।इस समय की दूरी पर, रिमांड का आदेश देना सार्थक नहीं होगा, विशेष रूप से जब अपीलकर्ता दो दशकों से अधिक समय तक जेल में रहने के लिए जिम्मेदार है। न्यायाधिकरण के समक्ष संशोधन नियमों और राजपत्र अधिसूचना को प्रस्तुत नहीं करने में इसकी ओर से पूरी तरह से लापरवाही की गई है।इसलिए, तीसरा प्रतिवादी इस तरह की लापरवाही के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है और उसे वह दिया जाना चाहिए जो उसके लिए देय है।साथ ही, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि समय बीतने के साथ, तीसरे प्रतिवादी ने सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु को पार कर लिया है।उनकी आयु अब 50 वर्ष है और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष बताई जाती है।ऐसी स्थिति में, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उचित निर्देश देकर इस अपील का निपटारा करने का प्रस्ताव करते हैं।21. तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है किः

(i) तीसरे प्रत्यर्थी की नियुक्ति, शुरू में परिवीक्षा पर, अपीलार्थी द्वारा डाक सहायक (जिसके लिए उसे चुना गया था) के पद पर तारीख से एक महीने के भीतर की जाएगी।

(ii) यदि कोई पद खाली नहीं है, तो एक अतिरिक्त पद बनाया जाएगा; (iii) परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक समापन के अधीन, तीसरे प्रतिवादी को सेवा में रखा जाएगा;

((iv) यदि परिवीक्षा के दौरान प्रदान की गई सेवा को संतोषजनक नहीं माना जाता है, तो अपीलार्थी कानून के अनुसार आगे बढ़ने का हकदार होगा।

(v) वास्तव में काम नहीं करने के बाद, तीसरा प्रतिवादी न तो वेतन के बकाया का हकदार होगा और न ही वह 1995 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने का हकदार होगा।

(vi) चूंकि तीसरा प्रत्यर्थी, यदि परिवीक्षाधीन सेवा की सफल अवधि के बाद नियुक्त किया जाता है, तो उसके खाते में 10 वर्ष से कम की सेवा होगी और इसके परिणामस्वरूप पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योग्यता सेवा की कमी हो जाएगी, इसलिए अपीलकर्ता उसे उस तारीख को काल्पनिक रूप से नियुक्त किया गया होगा जब चयनित उम्मीदवारों में से अंतिम को 1995 की प्रक्रिया के अनुसार केवल कानून के अनुसार ऐसे लाभों को जारी करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था; और

(vii) ऐसे मामले में, उसके सेवानिवृत्त लाभ की गणना सेवा में रहते हुए उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर की जाएगी।

(viii) ये निर्देश तीसरे प्रतिवादी के अलावा किसी भी प्रतिवादी पर लागू नहीं होंगे।

22. उपरोक्त निर्देशों के साथ, अपील का निपटान लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ किया जाता है।हालाँकि, दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन